



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
International Financial Services Centres Authority



रजिस्ट्रीकरण नवीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Renewal of Registration

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / Registration Number: *IFSCA/IIIO/001/2016-17*

एक्सपेरिटस इश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को *कम्पोजिट ब्रोकर* के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 9 (6) और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।

The certificate of registration of Xperitus Insurance Brokers Private Limited to act as Composite Broker is hereby renewed under regulations 9 (6) of the IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

- (2) 21 मार्च दो हजार पच्चीस को जारी किया गया।
- (2) Issued on 21st Day of March of Two thousand Twenty-five.
- (3) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र 27-मार्च-2025 से 26-मार्च-2028 तक विधिमान्य होगा।
- (3) This certificate of renewal of registration shall be valid from 27-March-2025 to 26-March-2028.
- (4) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के उपबंधों के अधीन है।
- (4) This certificate of renewal of registration is subject to the provisions of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021.

आदेश द्वारा / By Order

BHASKAR PRABHAKAR
KHADAKBHAVI
Digitally signed by BHASKAR
RRABHAKAR KHADAKBHAVI
Date: 2025.03.21 17:39:50
+05'30'

कृते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

For and on behalf of International Financial Services Centres Authority

स्थान / Place: गांधीनगर Gandhinagar

तारीख: Date: 21 March, 2025



Seal of the Authority



अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
International Financial Services Centres Authority



रजिस्ट्रीकरण नवीकरण प्रमाणपत्र
Certificate of Renewal of Registration

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक / Registration Number: *IFSCA/IIIO/001/2016-17*

एक्सपेरिटस इनश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को कम्पोजिट ब्रोकर के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 8 (6) और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।

The certificate of Xperitus Insurance Brokers Private Limited to act as Composite Broker is hereby renewed under regulations 8 (6) of the IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

- (2) 30 सितंबर दो हजार बाईस को जारी किया गया।
- (2) *Issued on 30th Day of September of Two thousand Twenty-two.*
- (3) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र 27-मार्च-2022 से 26-मार्च-2025 तक विधिमान्य होगा।
- (3) *This certificate of renewal of registration shall be valid from 27-March-2022 to 26-March-2025.*
- (4) यह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रमाणपत्र, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, बीमा अधिनियम, 1938 और आई.एफ.एस.सी.ए. (बीमा मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के उपबंधों के अधीन है।
- (4) *This certificate of renewal of registration is subject to the provisions of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019, The Insurance Act, 1938, and IFSCA (Insurance Intermediary) Regulations, 2021.*



स्थान / Place: गांधीनगर *Gandhinagar*

तारीख: Date: *30th September, 2022*

(प्राधिकरण की मुहर /
Seal of the Authority)

आदेश द्वारा / By Order

कृते अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

For and on behalf of International Financial Services Centres Authority